



सिक्किम विश्वविद्यालय

दिनांक 26.01.2019 को वितरण के माध्यम से एजेंडा मद के अनुमोदन के लिए आयोजित वित्त समिति की 22वीं बैठक का कार्यवृत्त

विषय : सिक्किम विश्वविद्यालय के निर्माण (चरण -1 के पैकेज -2) के लिए डीपीआर का अनुमोदन

दिनांक 24 दिसंबर 2018 को आयोजित वीट समिति की 21वीं बैठक में एजेंडा मद सं एफ़सी 21.3.1 पर समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार सिक्किम विश्वविद्यालय ने रु. 303.55 करोड़ की राशि के लिए एक औपचारिक डीपीआर (चरण -1 के पैकेज -2) तैयार किया है। प्रारम्भ से सिक्किम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए होनेवाले हुए कुल व्यय रु. 1,000 करोड़, जिसमें रु. 303.55 करोड़ राशि के प्रस्तावित डीपीआर और अगले तीन वर्षों के लिए अन्य प्रस्तुत व्यय शामिल है, के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के एसएफ़सी/ईएफ़सी प्रस्ताव को दिनांक 26.01.2019 को वित्त समिति के सभी सदस्यों को विचारार्थ ईमेल द्वारा भेजा गया था , ताकि मामले को एमएचआरडी के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत किया जा सकें।

निम्नलिखित सदस्यों ने वापसी मेल से उपर्युक्त एजेंडा पर अनुमोदन प्रदान किया है :

1. प्रोफेसर ए. खरे, कुलपति	अध्यक्ष
2. डॉ. डी.आर.अगरवाल [कोर्ट द्वारा नामित]	सदस्य
3. प्रो. पी. टंडन [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
4. प्रो. डी.पी. सरकार [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
5. प्रो. एन.के.पासवान [ईसी द्वारा नामित]	सदस्य
6. श्री जी.सी. होसुर [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य
7. श्रीमती दर्शना एम. डबराल [विजिटर द्वारा नामित]	सदस्य

अतः अध्यक्ष ने एजेंडा मद को अनुमोदित माना है, चूंकि उपर्युक्त सदस्यों ने अपना अनुमोदन दे दिया है।

हस्ता./-
(प्रो. अविनाश खरे)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

हस्ता./-
(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी एवं सचिव
वित्त समिति